नोटिस

आरयू के गांधियन स्टडीज सेंटर में 11 अगस्त तक चलेगी 6 महिने के सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश की प्रक्रिया

महात्मा गांधी के दर्शन विचारों और सिद्वांतों को वर्तमान में युवा समझें पढ़े और अपने जीवन में आत्मसात कर गांधी मार्ग का अनुसरण कर सके। इसी उद्वेश्य से राजस्थान विश्वविद्यालय के गांधीयन स्टडीज सेन्टर की ओर से संचालित 6 महिने के सर्टिफिकेट कोर्स में 11 अगस्त 2023 तक ऑफ लाईन प्रवेश हो सकेगा। इसके लिए विद्यार्थी को केन्द्र में ही फार्म भरकर जमा कराना होगा। सर्टिफिकेट कोर्स की खासियत ये है कि इसमें विद्याथियों के लिए एज लिमिट नही है। बेसिक क्वालिफिकेशन केवल ग्रेजुएशन है, दूसरे किसी कोर्स के साथ में भी इस कोर्स को किया जा सकता है। गौरतलब है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में 1985 में गांधीयन स्टेडीज की स्थापना के बाद अब अधिक से अधिक स्टूडेन्टस को गांधी के विचारों से जोडने के लिए 6 महिने का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है। अब गांधीयन स्टेडीज पर 6 महिने के सर्टिफिकेट कोर्स में 11 अगस्त तक ऑफ लाईन प्रवेश होंगे। जो पहले आओ पहले पाओ अथवा मेरिट के आधार पर होगा। इसमे कुल 40 सीटों पर प्रवेश होना है। कोर्स में चार पेपर होगें। पहले तीन पेपर्स लिखित होगें पहला महात्मा गांधी का जीवन वृत्त दूसरा महात्मा गांधी के प्रमुख आन्दोलन तीसरा महात्मा गांधी के प्रमुख विचार एवं उनकी समकालीन प्रासांगिकता और चौथा प्रोजेक्ट वर्क होगा। अनाथालय, वृद्वाश्रम, स्वंय सेवी संस्थान, एवं खादी ग्रामोद्योग के बारे में अध्ययन। स्वच्छता, सम्प्रदायिक सौहार्द महिला सशक्तिीकरण, भोजन एवं स्वच्छता और अस्पृश्यता कर असाइमेंट तैयार करना होगा। आखिर में दैनिक जीवन कौशल में गांधीवादी सिद्वान्तों का समावेश करना होगा। हर पेपर अधिकतम 100 अंको का होगा। कोर्स की फीस लगभग 4840 रूपये होगी। इसी प्रकार अब गांधीजी के मूल चिन्तन और दर्शन पर आधारित बुनियादी शिक्षा, रचनात्मक कार्यक्रम, सामाजिक समरसता आदि के आधार पर नई शिक्षा नीति के अनुरूप एक रोजगारोन्मुख डिप्लोमा कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव भी केन्द्र के द्वारा तैयार कर अनुमति के लिए भेजा गया है। जो कि गांधीजी के सत्य के साथ मेरे प्रयोगों पर आधारित होगा।

फीस – 4840 रूपये
अवधि – 6 माह
योग्यता – स्नातक
प्रवेश फॉर्म –07 अगस्त से 11 अगस्त, 2023
आवेदन का माध्यम – ऑफ लाईन
आवेदन का स्थान – गांधी अध्ययन केन्द्र

(डॉ. राजेश कुमार शर्मा)
निदेशक